



Skill Development and Industrial Training Department
Haryana, Chandigarh
Phone: 0172-2722542, E-mail: aaa.itiharyana@gmail.com

आदेश

हरियाणा राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य जोकि सहायक शिक्षता सलाहकार घोषित हैं, को उनके जिले में सभी विभागों के मुख्यालय/कार्यालयों में शिक्षता अधिनियम-1961 के तहत नियुक्त शिक्षकों को स्टार्डफंड के भुगतान हेतु पी.एफ.आर. 19.8 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की जाती है।

दिनांक: 2.01.2018

अशोक कुमार मीना, आई.ए.एस.
निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण
विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

अशा क्रमांक: TA/NAPS/2016/Stipend/1525

दिनांक: 11-01-2018

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. राज्य में सभी सहायक शिक्षता सलाहकार एवं प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद (भोडिया खेडा), गुरुग्राम, हिसार, झज्जर एट गुडा, जीन्द, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नूहं, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रिवाडी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, रावलधी (चरखी दादरी) तथा यमुनानगर।
2. नोडल अधिकारी को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने बारे।
3. PA to DSD&IT

उप शिक्षता सलाहकार,
कृते: निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण
विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

३